2021/146

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट

श्री कान्तिलाल उपाध्याय
जाति उपाध्याय
निवासी ब्रह्मपुरी मोहल्ला सांतपुर
तहसील आबूरोड जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

किस्म मुकदमा– अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 58 वर्ष 2021

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
04.08.2021	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 05.04.2021 को प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 27.02.2020 को जिला कलक्टर पब्लिक लैण्ड प्रोटेक्शन सेल सिरोही को गांव सांतपुर आबूरोड जिला सिरोही मे स्थित खसरा संख्या 435 किस्म आमरास्ता की भूमि में लगे मोबाइल टॉवर को हटाने बाबत शिकायत की गई थी। उक्त शिकायत जांच में अपीलार्थी द्वारा दिनांक 29.09.2020 को लिखित बयान जिला कलक्टर एवं तहसीलदार आबूरोड को रजिस्टर्ड पत्र द्वारा प्रेषित किए गए थे। उक्त शिकायत पर क्या कार्यवाई हुई उसकी जांच पत्रावली मय जांच प्रतिवेदन बयान संलग्न दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि मे उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई है। मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 05.04.2021 को प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 27.02.2020 को जिला कलक्टर पब्लिक लैण्ड प्रोटेक्शन सेल सिरोही को गांव सांतपुर आबूरोड जिला सिरोही में स्थित खसरा संख्या 435 किस्म आमरास्ता की भूमि में लगे मोबाइल टॉवर को हटाने बाबत शिकायत की गई थी। उक्त शिकायत जांच में अपीलार्थी द्वारा दिनांक 29.09.2020 को लिखित बयान जिला कलक्टर एवं तहसीलदार आबूरोड को रजिस्टर्ड पत्र द्वारा प्रेषित किए गए थे। उक्त शिकायत पर क्या कार्यवाई हुई उसकी जांच पत्रावली मय जांच प्रतिवेदन बयान संलग्न दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें । यदि सूचना देना नियमों में संभव नही हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करें । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। Signature Not Verified Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal Date: 2021.10.15 12:12:15 IST Reason: SelfAttested (भगवती प्रसाद) जिला कलक्टर, सिरोही	

Scanned with CamScanner